मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1098

02.12.2024 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई पर रोक लगाना

1098.श्रीमती हेमा मालिनी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक ओर कई राज्यों में वन क्षेत्र बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में वन क्षेत्र घटा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई राज्यों में वन क्षेत्र घटने का मुख्य कारण वृक्षों की अवैध कटाई है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान वन क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई के मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मौजूदा कानून वन क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने में सक्षम नहीं है और यदि हां, तो क्या कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री;
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(**क**) **और** (**ख**): मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई)**,** देहरादून हर दो वर्ष में वन क्षेत्र का आकलन करता है। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021के अनुसार**,** देश का कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। पिछले तीन आईएसएफआर के रुझान देश के वनावरण में वृद्धि दर्शाते हैं। आईएसएफआर 2017 की तुलना में आईएसएफआर 2021 के आकलन में वनावरण में 5,517 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वनावरण में वृद्धि देखी गई है, जिसका श्रेय बेहतर संरक्षण उपायों, सुरक्षा, वनीकरण गतिविधियों, वृक्षारोपण अभियान और कृषि वानिकी को दिया जा सकता है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वनावरण में कमी आई है, जिसका कारण झूम कृषि, वृक्षों की कटाई, प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित दबाव और विकासात्मक गतिविधियां हो सकती हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वनावरण और आईएसएफआर 2017 और आईएसएफआर 2021 के बीच इसमें हुए परिवर्तन काविवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(**ग**) **और** (**घ**)**:** वनों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित विवरण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। अवैध कटाई को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और स्थानीय वन अधिनियमों/नियमों के तहत उचित कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं। इसके अलावा**,** अवैध कटाई को रोकने के लिए राज्य वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों द्वारा नियमित गश्त की जाती है। वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियां भी स्थापित की गई हैं।

*****

अनुलग्नक-I

'वन क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई पर लगाना' के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आईएसएफआर 2017 से आईएसएफआर 2021 तक वनावरण में परिवर्तन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वन आवरण		परिवर्तन (2017-2021)
	आईएसएफआर 2017	आईएसएफआर 2021	
आंध्र प्रदेश	28,147.00	29,784.00	1,637.00
तेलंगाना	20,419.00	21,214.00	795.00
अरुणाचल प्रदेश	66,964.00	66,431.00	-533.00
असम	28,105.00	28,312.00	207.00
बिहार	7,299.00	7,381.00	82.00
छत्तीसगढ	55,547.00	55,717.00	170.00
दिल्ली	192.41	195.00	2.59
गोवा	2,229.00	2,244.00	15.00
गुजरात	14,757.00	14,926.00	169.00
हरियाणा	1,588.00	1,603.00	15.00
हिमाचल प्रदेश	15,100.00	15,443.00	343.00
झारखंड	23,553.00	23,721.00	168.00
कर्नाटक	37,550.00	38,730.00	1,180.00
केरल	20,321.00	21,253.00	932.00
मध्य प्रदेश	77,414.00	77,493.00	79.00
महाराष्ट्र	50,682.00	50,798.00	116.00
मणिपुर	17,346.00	16,598.00	-748.00
मेघालय	17,146.00	17,046.00	-100.00
मिजोरम	18,186.00	17,820.00	-366.00
नगालैंड	12,489.00	12,251.00	-238.00
ओडिशा	51,345.00	52,156.00	811.00
पंजाब	1,837.00	1,847.00	10.00
राजस्थान	16,572.00	16,655.00	83.00
सिक्किम	3,344.00	3,341.00	-3.00
तमिलनाडु	26,281.00	26,419.00	138.00
त्रिपुरा	7,726.00	7,722.00	-4.00
उत्तर प्रदेश	14,679.00	14,818.00	139.00
उत्तराखंड	24,295.00	24,305.00	10.00
पश्चिम बंगाल	16,847.00	16,832.00	-15.00
जम्मू एवं कश्मीर	23,241.00	21,387.00	418
लद्दाख		2,272.00	
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	6,742.00	6,744.00	2.00
चंडीगढ़	21.56	22.88	1.32
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	227.49	227.75	0.26
लक्षद्वीप	27.10	27.10	0.00
पुदुचेरी	53.67	53.30	-0.37
कुल	**7,08,273.23**	**7,13,789.03**	**5,515.80**

**आईएसएफआर 2019 की रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त वनावरण की रिपोर्ट दी गई है ।*